

प्ररूप-2 क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग-1 या भूखण्ड-2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 133, दोमश्तीपुरा (अ.प्र.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम राम चंद्र राम

पिता/माता/पति का नाम सहदेव राम उसका डाक पता अ.प्र. - मधुनिभा

सुप्रीम, माया, बशीपुरा, जिला-समाजपुरा उसका नाम 133, दोमश्तीपुरा, विधान सभा

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग

सं० 96 में क्रम सं० 904 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम राम लखन राम है जो 133, माया, बशीपुरा, विधान सभा संसदीय निर्वाचन

क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग

सं० 96 में क्रम संख्या 907 पर प्रविष्ट है।

राम लखन राम

(प्रस्थापक का हस्ताक्षर)

तारीख 03.04.2014

भाग-2

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम उसका डाक पता.....

..... उसका नाम

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के

भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में, जैसे की नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर ।

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचन नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

} हाँ / नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक नहीं
- (ii) पुलिस थाना(थाने) जिला(जिले) राज्य नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखे) नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्त की तारीख (तारीखें) नहीं
- (viii) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीले)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हां/नहीं
- (ix) फाईल की गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन फायल किए गए थे नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदन) निपटारा हो गया है, तो -
(क) निपटारा की तारीख (तारीखें) : नहीं
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) : नहीं

स्थान : समीप
तारीख : 03.04.2014

रामचंद्र राम
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-3

मैं भाग-1 /भाग-2 (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(नीचे ख (i) या ख(ii) में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ; (जो लागू न हो, उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधियान क्रम में (i)

(ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा जा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

रामचंद्र राम

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख ... 03.04.2014

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** * जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

(5)

भाग-4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० ०१.....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में ०३-०४-२०१४ (तारीख) को ०१-२४ (बजे) *अभ्यर्थी/
प्रश्नापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख : ०३-०४-२०१४ .

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये ।

Sanj
३.४.१४
(रिटर्निंग ऑफिसर)

सहायक निर्वाचक पदाधिकारी
२३-समस्तीपुर(ब०जा०)लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ३६ के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं
निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख :

(रिटर्निंग ऑफिसर)

.....(छिद्रण).....

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान अनुच्छेद 84(क))
(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

॥ रामचंद्र राम

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी।

रामचंद्र राम

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
और बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती रामचंद्र राम

01/31

बजे जिला प्रशासक एवं सभापति, समस्तीपुर के
कक्षा क्रमांक - प्रकाश
ईश्वर के नाम पर शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

मैं आज, तारीख 03-04-2014 के पूर्वहन/अपराहन
(स्थान) में मेरे सामने

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
3-4-14


नाम :- रमेश कुमार गर्ग

पदनाम :- उप विकास आयुक्त

मुहर :- सहायक निर्वाचन पदाधिकारी

23-समस्तीपुर(अ0जा0)लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

यहाँ से फाड़े



GOVT. OF BIHAR
STATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
BASTIPUR SCORE SAMSASTIPUR

भारत STAMP DUTY

00000

बिहार
JUDICIAL

1416126
0366

COURT FEE

Authorization No. 3358



375312

BIHAR
Zero Zero One Zero Zero

10/63 Dated 3/4/11

Authorised u/s Section 11 of the C.P.C.
Sec. II A & B of the Courts Act-07

“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)



23, समस्तीपुर (आंजा))
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र
भाग-क

में राम चंद्र राम **पुत्र/पुत्री/पत्नी साहेब राम आयु 62 वर्ष,
जो समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर, आंजा, पंचायत, निवासी (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं बाहुजन समाज पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/
**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 23, समस्तीपुर, निवासी (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)
में भाग सं. 916 के क्रम सं. 904 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9334881212 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
... है।
- (4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं <u>राम चंद्र राम</u>	<u>ACVPR5907L</u>	<u>वर्ष 2012-13</u>	<u>10,70,581-00</u>
2.	<u>पत्नी का पत्नी राजमनिश्री</u>	<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>
3.	<u>आश्रित-1 चन्द्रमणि राज</u>	<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>
4.	<u>आश्रित-2</u>	<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>
5.	<u>आश्रित-3</u>	<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>

R. A. S.

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं	शून्य

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	शून्य -
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य -

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
..... यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

R. A. S.

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	40,000=00	10,000=00	2221-	2221-	2221-
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	DSR 2221-00 2221-00 A/c-62107 -50892 मौत 2221-00 S.B.I. 2221- 911121, 42211 A/c-110822 -06288 मौत 1,62,909=00	2221	2221	2221	2221
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	2221	2221	2221	2221	2221
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	2221	2221	2221	2221	2221
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	2221	2221	2221	2221	2221

RADU

(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम	2121 5131 13R SD/075194 2005-110 1,00,000=00 11/12/21/11 BROIPAH755 11/12/10 11/12/1000=00	22000	22000	22000	22000
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	22000	शोभा-50000 11/12/150,000	22000	22000	22000
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	22000	22000	22000	22000	22000
(ix)	समग्र कुल मूल्य	7,80,160=00	1,60,000=00	22000	22000	22000

ख. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	22000	22000	22000	22000	22000
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	22000	22000	22000	22000	22000
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	22000	22000	22000	22000	22000
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	22000	22000	22000	22000	22000
	क्रय के समय भूमि की लागत	22000	22000	22000	22000	22000
	(क्रय की दशा में)					
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	22000	22000	22000	22000	22000
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	2111-412421 शोभा-22000 11/12/1494	22000	22000	22000	22000
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21509.13	22000	22000	22000	22000
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	22000	22000	22000	22000

RAD

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21.12.1978	22m	22m	22m	22m
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	5000=50	22m	22m	22m	22m
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	22m	22m	22m	22m	22m
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,500=50	22m	22m	22m	22m
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	22m	22m	22m	22m	22m
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	22m	22m	22m	22m	22m
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	22m	22m	22m	22m	22m
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	22m	22m	22m	22m	22m
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	22m	22m	22m	22m	22m
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	22m	22m	22m	22m	22m
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	22m	22m	22m	22m	22m
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	22m	कुछ भवन (अम) नं. 120/120 खाना-120 शु. 1-1-1991	22m	22m	22m
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	22m	4000 sq. ft.	22m	22m	22m
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	22m	2700 sq. ft.	22m	22m	22m
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	22m	नहीं	22m	22m	22m
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	22m	29.02.1999	22m	22m	22m
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	22m	58,000=50	22m	22m	22m

R D D

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	₹ 2000-	महागतिभित	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 2000-	₹ 12,00,000=00	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 50,000=00	₹ 12,00,000=00	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	पूर्वोक्त ऋण से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	कोई अन्य दायित्व	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	दायित्वों का कुल योग	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-	₹ 2000-

R D W

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	१२००
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	१२००
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	१२००

7. का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	2012-13	10,70,581
	(ख) पति या पत्नी	१२००	१२००
	(ग) आश्रित	१२००	१२००

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
-------	-------	--------------	----------	----------	----------

क	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	7,80,160=00	1,60,000=00	१२००	१२००	१२००
ख	स्थावर (Immovable) आस्तियां					
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	5000=00	58,000=00	१२००	१२००	१२००
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)					
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	50,000=00	12,50,000=00	१२००	१२००	१२००

RAJ

